कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
बिरसा मुंण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 – 243222

क्रमांक/1205..../स्था./राज./एम.सी./2023

शहडोल, दिनांक 21/6/2023

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 एवं अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-45/2010/1/55 भोपाल, दिनांक 27.12.2022 में किये गए प्रावधानों/निर्देशों के अंतर्गत बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अधीन चिकित्सा शिक्षकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को सीधी भर्ती प्रकिया के माध्यम से पूर्ति किये जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक चिकित्सा शिक्षकों (इन-हाउस) के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2023, दिन – शुक्रवार को सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

कमांक	विभाग का नाम	प्राध्यापक				सह प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनॉटामी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	बायोकेमेस्ट्री	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	फार्माकोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	पैथालॉजी	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	जनरल मेडिसिन	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
8	पीडियाट्रिक्स	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	डर्माटोलॉजी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	साइकेट्री	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	टी.बी. एण्ड चेस्ट	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	जनरल सर्जरी	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
13	आर्थोपैडिक्स	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14	ई.एन.टी.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	आब्स एण्ड गायनी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	एनेस्थीसिया	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
17	रेडियोडागग्नोसिस	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
18	डेन्टिस्ट्री	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	इमरजेंसी मेडिसिन	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	पीएमआर	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	योग	8	0	0	0	17	0	0	0	5	0	0	0
	कुल योग	8				17				5			

क्रमशः पेज 02 पर

1. उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट **GMCSHAHDOL.ORG** उपलब्ध है।
2. **आवेदन शुल्क** :– अनारक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ रू. 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) एवं आरक्षित संवर्ग (अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यार्थियों को रूपये 800/– (आठ सौ रूपये मात्र) की राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट **" NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY"** खाता क्रमांक – **3687727001 IFSC Code :- CBIN0280787** बैंक :– सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.) के नाम देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जावेगी। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
4. उपरोक्त पद हेतु बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य संस्थाओं में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी एवं संलग्न ड्राफ्ट को वापस नहीं किया जावेगा।

(संभागायुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल द्वारा अनुमोदित)।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) में पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की पूर्ति संबंधी आवश्यक विवरण

1. **आयु सीमा एवं वेतनमान :–**

स. क.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	वेतनमान
1	प्राध्यापक	35 वर्ष	144200–218200 (सातवें वेतनमान का लेवल 14)
2	सह–प्राध्यापक	30 वर्ष	131400–217100 (सातवें वेतनमान का लेवल 13 ए)
3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	68900–205500 (सातवें वेतनमान का लेवल 11)

टीप :– उपरोक्त पद पर नियुक्ति के उपरांत राज्य शासन द्वारा समय – समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगें।

क्रमशः पेज 03 पर

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही दिया जायेगा।

3. **शैक्षणिक आर्हतायें :-**

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण) स.क्र. 103, भाग-III, खण्ड 4, दिनांक 14 फरवरी 2022 में प्रकाशित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम, 2022 के अनुसार रहेंगी।

4. **निर्हतायें :-**

4.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

4.2 दुश्चरित्र होने पर।

4.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

4.4 **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा -** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपने उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

4.5 **विवाह संबंधीः-** जिस उम्मीदवार के न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसके पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसी महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो, वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्ह नहीं होगा।

4.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेर बदल कर प्रस्तुत करने पर।

4.7 **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसमें शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

4.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

4.9 **स्वास्थ्य संबंधी :-** चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

क्रमशः पेज 04 पर

5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संबंधित विषय की पी.जी. डिग्री एवं मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन (पी.जी.) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन की स्थिति में आवेदक को मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में 3 माह के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा उक्त के अभाव में संबंधित चिकित्सा शिक्षक की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई के लिए कॉलेज प्रशासन स्वतंत्र रहेगा।
6. गैर चिकित्सा स्नातक एन.एम.सी./एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित विषयों में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, परंतु उनकी नियुक्ति पर विचार मेडिकल आवेदक (एम.डी. एम.एस. डी.एन.बी. डिग्रीधारी) के आवेदन न किए जाने की स्थिति में ही किया जाएगा। (एम.सी.आई. की जनरल बॉडी मीटिंग दिनांक 31 अक्टूबर 2017 के बिंदु क्रमांक 52 में लिए गए निर्णय अनुसार गैर चिकित्सा स्नातक की तीन वर्षीय मेडिकल एम.एस.सी. ही मान्य होंगी)
7. <u>डी.एन.बी. डिग्रीधारी आवेदक –</u> डी.एन.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे बिस्तरों की संख्या, फैकल्टी की मान्यता, अटेम्ट सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाने पर ही मान्य होंगे अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
8. <u>डी.एन.बी. डिग्रीधारी आवेदक –</u> डी.एन.बी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात सीनियर रेसीडेंट के रूप में किए गए कार्यों को ही मान्य किया जाएगा।
9. शासकीय/स्वशासी संस्था में सेवारत आवेदक को अपने मूल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ–साथ साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त के अभाव में आवेदक को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सेवारत व्यक्ति को आवेदित पद पर आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी
10. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षक, जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 के तहत की हो, के द्वारा उच्च पद के लिए आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
12. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा चयनित पद पर उपस्थिति दिनांक से 3 वर्ष जो भी पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाएं देनी होगी। आवेदक को इस बाबत संम्यक रूप से एक बॉन्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं शर्तों के उल्लंघन पर उसे 1 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी। चयनित पद पर 3 वर्ष की सेवा उपरांत यदि आवेदक किसी कारणवश त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे 1 माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
13. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :–** बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2023, दिन – शुक्रवार को सायं 05 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जाएगी।

क्रमश : पेज 05 पर

14. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जैसे अर्हता/अनुभव/शोध पत्र इत्यादि को ही मान्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।
15. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. **आवेदन शुल्क** :- अनारक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ रू. 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) एवं आरक्षित संवर्ग (अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यार्थियों को रूपये 800/- (आठ सौ रूपये मात्र) की राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट **" NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY"** खाता क्रमांक - **3687727001 IFSC Code :- CBIN0280787** बैंक :- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.) के नाम देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
17. उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट **GMCSHAHDOL.ORG** उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)